भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2078

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य सुरक्षा विनियम

2078. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कैंसर पैदा करने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ/तेल को खाद्य श्रृंखला में प्रवेश न करने दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विधि में ऐसे कोई उपबन्ध हैं जो ऐसे कैंसर पैदा करने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों/तेल का व्यापार, प्रसार या उपयोग करने वाले व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले कैंसर पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ आदि पर प्रतिबंध लगाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए अधिदेशित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा उत्तरदायित्व है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उपयोग के लिए अनुमत्य खाद्य उत्पाद/सामग्री मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हों। कैंसरजन्यता और विषाक्तता जैसी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं सहित योजकों का जोखिम मूल्यांकन खाद्य योजकों, स्वादवर्धक पदार्थों और प्रसंस्करण सहायकों के वैज्ञानिक पैनल द्वारा उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएसएआई) ने तेल सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए मानक अधिसूचित किए हैं।

इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई ने निम्नलिखित उपाय आरंभ किए हैं:-

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत खाद्य उत्पादों में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जाँच के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा वर्ष भर नियमित निगरानी अभियान, निरीक्षण, विनियामक निरीक्षण और विभिन्न खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने लिए जाते हैं।
- किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, एफएसएस अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषियों के विरूद्ध कठोर विनियामक कार्रवाई की जाती है। एफएसएस अधिनियम, 2006 में विभिन्न श्रेणियों के दोषों के लिए जुर्माना और कारावास सहित व्यापक दंडात्मक प्रावधान हैं।
- एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत उल्लंघन के लिए न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से शास्तियां लगाई जाती हैं, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल हैं।

*****